पाटन क्षेत्र से 911 बोरी धान सहित अवैध परिवहन करने वाले ट्रेक्टर- ट्रक जप्त

नरसिंहपुर की धान शहपुरा में ला रहे थे बेचने

नवभारत,जबलपुर। धान उपार्जन की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही किसानों की आड़ में धान बेचने वाले बिचौलिए और व्यापारी सक्रिय होते जा रहे हैं। पर कड़ी निगरानी बढ़ा दी है। इसी क्रम में बुधवार रात पाटन क्षेत्र में ट्रेक्टर और ट्रक में उपार्जन केंद्र लाई जा रही धान को प्रशासन ने जप्त किया है।

जानकारी के अनुसार जिला आपूर्ति नियंत्रक, प्रमोद कुमार मिश्र ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कुंजन सिंह राजपूत एवं सिद्धार्थ राय के साथ बुधवार की देर रात पाटन क्षेत्र के भ्रमण के दौरान नरसिंहपुर जिले से बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के सोनालिका कम्पनी के ट्रेक्टर में लोड कर शहपुरा उपार्जन केंद्र लाई जा रही 140 बोरी धान को जप्त किया है। धान नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील के ग्राम बेलखेड़ी के बबलू लोधी द्वारा लाई जा रही थी। ट्रेक्टर को मयधान कृषि उपज मण्डी समिति पाटन की अभिरक्षा में सुरक्षित खड़ा कराया गया।

कांटा पर्ची के अलावा नहीं थे दस्तावेज

इसी प्रकार बुधवार की देर रात को ही पाटन के समीप ट्रक को 771 बोरी में 316.20 क्विंटल धान का अवैध परिवहन करते हुये पकड़ा गया। जाँच के दौरान कांटा पर्ची के अतिरिक्त कोई दस्तावेज नहीं पाये जाने तथा ड्राईवर वाहिद खान द्वारा धान के परिवहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दिये जाने पर इस ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 9328 को धान सहित कृषि उपज मण्डी पाटन की अभिरक्षा में सुरक्षित खड़ा कराया गया।

जिले के प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाई

धान उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की प्रयास करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के तहत कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी जहाँ देर रात तक खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं धान का अवैध परिवहन रोकने जिले के प्रवेश मार्गों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ खरीदी केंद्रों की दिन रात की गतिविधियों पर नजर रखने कोटवारों को भी तैनात कर दिया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने

नाले की फोटो ट्वीट कर मुख्यमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग

नगर निगम प्रशासन का दावा.. जो फोटो पोस्ट की गई वो दो साल पुरानी....

नवभारत,जबलपुर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से लोगों की लगातार मौत हो रही है,यह सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में गंदे पानी की सप्लाई को लेकर लोगों में संवेदनशीलता बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में गौरीघाट स्थित नर्मदा नदी की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि जबलपुर में नर्मदा नदी में एक गंदा नाला मिल रहा है जबकि इसके ठीक आगे पेयजल की सप्लाई का प्लांट है। श्री सिंह के ट्वीट से राजनैतिक गलियारों व जिला, नगर निगम प्रशासन के खेमे में खलबली मची हुई है। उधर दूसरी ओर नगर निगम प्रशासन ने दावा किया है कि जो फोटो सोशल एकाउंट पर ट्वीट की गई है वो पुरानी है।

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जबलपुर के ग्वारीघाट की एक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि 'जबलपुर में नर्मदा नदी के ग्वारीघाट में एक नाला नर्मदा नदी में मिल रहा है. जिसमें सीवेज का पानी बहता है और यह सीवेज टैंक ग्वारीघाट में ही बना हुआ है. इस टैंक में कोई फिल्टर नहीं है। इसी से 500 मीटर की दूरी पर ललपुर वाटर फिल्टर प्लांट है. जिससे पेयजल की सप्लाई है और किसी भी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कृप्या मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय व महापौर जबलपुर इस पर संज्ञान लें। हालांकि इस पोस्ट के पास गौरीघाट में सफाई अभियान भी तेज हो गया।

दिग्विजय सिंह का ट्वीट भ्रम फैलाने वाला है : महापौर

वहीं जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह ने दिग्विजय सिंह की फोटो और ट्वीट का खंडन करते हुए कहा है कि 'यह फोटो 2 साल पुरानी है, लेकिन जिस स्थान पर यह नाला मिल रहा है वहां गुरुवार की सुबह से ही नगर निगम की टीम सफाई करने पहुंच गई थी और यहां नाली की सफाई की गई। यहां पर नगर निगम के कांग्रेसी पार्षद भी पहुंचे थे। महापौर ने ये भी कहा कि 'नर्मदा में यदि कोई नाला मिल रहा है इसका पेयजल सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ललपुर के जिस प्लांट के बारे में दिग्विजय सिंह ने लिखा है उसके लिए नर्मदा नदी से पानी लिया जरूर जाता है लेकिन उसके बाद उसे फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद ही लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जाता है. इसलिए दिग्विजय सिंह का ट्वीट केवल भ्रम फैलाने वाला है।

श्रमसाध्य भत्ते का लोकायुक्त ने रादुविवि कुलसचिव से मांगा ब्यौरा

जबलपुर। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमविरूद्ध बांटे जा रहे श्रमसाध्य भत्ते से संबधित दस्तावेज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कुलसचिव से लोकायुक्त ने तलब किए गए हैं।

जानकारी अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़ी एक शिकायत को लेकर लोकायुक्त ने श्रम साध्य भत्ते किस आदेश के तहत दिये गये आदेश की सत्यापित प्रति एवं कर्मचारियों को श्रनसाध्य भत्ता भुगतान कब से और कितना भुगतान किया गया संबंधित दस्तावेज, अतिरिक्त समय रूकने की संधारित सूची के साथ रजिस्टर जिसमें प्रतिमाह किये गये अतिरिक्त समय का विवरण, श्रम साध्य भत्ते संबंधित सम्पूर्ण प्रक्रिया संपादन किये जाने वाले विभाग स्थापना, लेखाशाखा के शाखा प्रभारी को उक्त दस्तावेजों सहित 12 जनवरी तक मांगे गए हैं।

बेदखली का सताने लगा डर, जनता की लड़ाई के समर्थन में उतरे जनप्रतिनिधि

करौंदी में बीते एक सप्ताह से हो रहा है जमीनों का सीमांकन

रक्षा संपदा अधिकारी के नेतृत्व में चल रही है कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। करौंदी क्षेत्र में बीते करीब 1 सप्ताह से रक्षा मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद डिफेंस ईस्टेट ऑफिस (डीईओ) द्वारा जमीनों के सीमांकन कराने का नजारा देख रहवासियों को बेदखली का डर सताने लगा है। यही माहौल कैंट के बगीचा क्षेत्र के लोगों का भी है। उधर दूसरी तरफ कैंट विधानसभा के पूर्व पार्षद इसे न्यायसंगत बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार सीमांकन व सर्वे में ये पता लगाया जा रहा है कि किस व्यक्ति ने किस जगह निर्माण पर अपने-अपने आशियाने बनाए हैं। खबर तो ये भी है कि सीमांकन पूरा होने के बाद भविष्य में उक्त जमीन पर बने निर्माणों पर रक्षा संपदा अधिकारी के निर्देश पर बुल्डोजर चला दिया जाएगा। विदित हो कि करौंदी बस्ती में करीब 500 परिवार निवास कर रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर करौंदी के कुछ रहवासियों ने नवभारत को बताया कि आर्मी द्वारा करौंदी का सीमांकन इसलिए कराया जा रहा है कि भविष्य में आर्मी उक्त जमीन पर अपना मालिकाना हक स्थापित

कर सके और वहां रहने वाले सभी लोगों को बेदखल कर सके। वहीं छावनी परिषद् के इंजीनियर अनुराग आचार्य ने नवभारत को से कहा कि करौंदी में सीमांकन कराने की पूरी कार्यवाही रक्षा संपदा अधिकारी के नेतृत्व में पूरी कराई जा रही है इसमें छावनी परिषद् की कोई भूमिका नहीं है। इस संबंध में कैंट बोर्ड के पूर्व मेंबर राजीत यादव ने डिफेंस ईस्टेट ऑफिसर (डीईओ) नेहा गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें बताया कि सीओडी की स्थापना के दौरान विस्थापित किए गए किसानों व परिवारों को करौंदी में बसाया गया था। और उनके पास दस्तावेज भी मौजूद हैं।

कुछ इस तरह के हैं रहवासियों के पास प्रमाण

जानकारी के अनुसार करौंदी के रहवासियों के पास जहां वो अभी रह रहे हैं उसके प्रमाणित दस्तावेज भी मौजूद हैं। इसी के तहत मिलिट्री स्टेट ऑफिसर जेए मानवलन द्वारा हस्ताक्षरित टाइटल प्रिपरेशन का जीएलआर प्लान ऑफ करौंदी गांव जबलपुर के नाम से डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट हैडक्वाटर सादर्न कमांड पुणे को लिखा गया पत्र रहवासियों के पास है वहीं दूसरा प्रमाण स्थानीय सैन्य हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश सब एरिया का 5 अप्रैल 1963 का टाइटल करौंदी गांव जबलपुर कैंटोनमेंट प्रिपरेशन ऑफ जीएलआर एंड प्लान के अंतर्गत मिलिट्री स्टेट ऑफिसर को दी गई एनओसी है। जिसमें उनके द्वारा स्वयं लिखा गया है की सेना के दृष्टिकोण से यदि जबलपुर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा करौदी क्षेत्र को सिविल क्षेत्र घोषित किया जाता है तो सैन्य प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं है।

इनका कहना है-

करौंदी, गोकलपुर के साथ कैंट विधानसभा की जनता के साथ हम हैं। जनता की लड़ाई के साथ मैं व विधायक अशोक रोहाणी खड़े हैं। लेकिन आर्मी द्वारा जो जमीन का सीमांकन कराया जा रहा है वो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है।

सुरेंद्र सुंदर अग्रवाल
पूर्व पार्षद, छावनी परिषद् जबलपुर

हाल ही में जिला उपाध्यक्ष बनीं अंजू भार्गव ने दिया पद से इस्तीफा

धर्मांतरण के विवाद में आईं थीं सुर्खियों में

नवभारत,जबलपुर। दृष्टिहीन नेत्री से धर्मांतरण के एक तथाकथित विवाद के दौरान मारपीट करने के कारण विवाद में सुर्खियों में आईं हाल ही में उपाध्यक्ष बनीं अंजू भार्गव ने

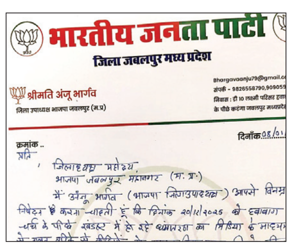

गुरूवार को भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। मतलब साफ है कि जिला उपाध्यक्ष पद से अंजू भार्गव ने इस्तीफा दे दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने नवभारत को बताया कि जिला उपाध्यक्ष ने पद से इस्तीफा मुझे सौंप दिया है।

इस्तीफा पत्र में ये लिखा गया है

इस्तीफे पत्र में अंजू भार्गव द्वारा लिखा गया कि विगत 20/12/2025 को हबाबाग चर्च के पीछे खंडहर में हो रहे धर्मांतरण का गलत तरीके से वीडियो वायरल किया गया था जिस पर मुझे पार्टी की ओ से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। पार्टी की छवि को कोई नुकसान न पहुंचे इसलिए मैं अपने पद से मामले की निष्पक्ष जांच पूरी होने तक इस्तीफा देतीं हूं और मैं अब पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगीं।

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी पूर्व महापौर प्रभात साहू सहित अन्य को नोटिस जारी

पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वे आम जनता को कैसे सुरक्षा देंगे

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने जबलपुर के पूर्व महापौर प्रभात साहू व पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामला राजनीतिक दबाव में पीड़ित पुलिस कर्मी के ही विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। न्यायालय ने नेताओं के दबाव में पुलिस अधिकारियों द्वारा एकपक्षीय कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। वाहन चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी से मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में उल्टे उसी पुलिसकर्मी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज किए जाने को हाई कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही निरूपित किया। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि जब थानों में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वे आम जनता को कैसे सुरक्षा देंगे। यह भी सवाल भी उठाया कि वीडियो वायरल होने और पुलिस कर्मी की शिकायत से आरोपियों की पहचान स्पष्ट होने के बावजूद नेताओं के नाम एफआईआर में क्यों नहीं जोड़े गए और मामला अज्ञात के विरुद्ध क्यों दर्ज किया गया। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को पुलिस विभाग का मनोबल गिराने वाला बताया। साथ ही आगामी सुनवाई में लार्डगंज थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दोनों एफआईआर की केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए हैं।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57